



MAHARAJGANJ POLICE

सराहनीय कार्य का विवरण- दिनांक 03.10.2026



● महाराजगंज पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था एवं नशा मुक्ति हेतु चलाए गए अभियान का दैनिक विवरण।

1. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई:

जनपदीय पुलिस द्वारा कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं सड़क सुरक्षा हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 189 वाहनों का चालान किया गया।

2. शांति भंग की आशंका के मद्देनजर की गयी कार्रवाई:

क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों द्वारा धारा 170 BNSS के तहत 62 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायालय चालान किया गया।

3. आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई:

जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवं तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु चलाए गए अभियान के तहत आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 17 अभियोगों में 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब, 343 शीशी देशी शराब, 450 शीशी नेपाली शराब एवं 06 अदद केन बीयर बरामद की गई।

थानों द्वारा की गयी सराहनीय कार्रवाई (आबकारी व अन्य अधिनियम):

- थाना कोतवाली:

1. अभियुक्त इनामुल्लाह पुत्र कलामुद्दीन (निवासी धनेवा धनेई टोला दबडुआ) के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद। (मु0अ0सं0 421/2026, धारा 4/25 आम्स एक्ट)
2. अभियुक्ता 1. किशनावती देवी पत्नी फिरंगी लाल निषाद व 2. जीरा देवी पत्नी त्रिवेणी निषाद (निवासीगण महुआवां) के कब्जे से 52 अदद टेढ़ा बंटी बबली देशी शराब बरामद। (मु0अ0सं0 419/2026, धारा 60(1) आबकारी अधि0)

3. अभियुक्त राजकिशोर पुत्र स्व० फौजदार (निवासी परसाराजा) के कब्जे से 20 अदद टेढ़ा बंटी बबली देशी शराब बरामद। (मु०अ०सं० 420/2026, धारा 60(1) आबकारी अधि०)

- थाना श्यामदेउरवा: अभियुक्त अरविन्द यादव पुत्र रामसुरेश (निवासी बसहिया बुजुर्ग टोला उरहनी) के कब्जे से 15 टेढ़ा पैकेट बंटी बबली अवैध देशी शराब बरामद। (मु०अ०सं० 269/2026, धारा 60(1) आबकारी अधि०)
- थाना निचलौल: अभियुक्त शिवम साहनी पुत्र रमेश साहनी (उम्र 20 वर्ष, निवासी डिगही थाना ठूठीबारी) के पास से 450 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद। (मु०अ०सं० 266/2026, धारा 60/63 आबकारी अधि०)
- थाना सिन्दुरिया: अभियुक्त रामहरख पुत्र स्व० रज्जू (निवासी पारेन्दा टोला शीतलापुर) के कब्जे से 24 अदद टेढ़ा पैक बंटी-बबली देशी शराब बरामद। (मु०अ०सं० 197/2026, धारा 60(1) आबकारी अधि०)
- थाना फरेन्दा:

1. अभियुक्ता रमोद पुत्र कुदुर (निवासी फरेन्दा बुजुर्ग) के कब्जे से 20 टेढ़ा पैकेट बंटी बबली अवैध देशी शराब बरामद। (मु०अ०सं० 273/2026, धारा 60(1) आबकारी अधि०)
2. अभियुक्त दीपक सिंह पुत्र ओंकार सिंह (निवासी मधियापुर) के कब्जे से 45 अदद बंटी बबली देशी शराब बरामद। (मु०अ०सं० 274/2026, धारा 60(1) आबकारी अधि०)
3. अभियुक्त राजेश्वर पुत्र श्री ज्ञानचंद (निवासी बैकुण्ठपुर) के कब्जे से 15 टेढ़ा पैकेट बंटी बबली अवैध देशी शराब बरामद। (मु०अ०सं० 276/2026, धारा 60(1) आबकारी अधि०)
4. अभियुक्त दिनेश मोदनलाल पुत्र स्व० कम्बल प्रसाद (निवासी वार्ड नं 18 लोहिया मार्केट) के कब्जे से 18 पैकेट बंटी बबली अवैध शराब बरामद। (मु०अ०सं० 278/2026, धारा 60(1) आबकारी अधि०)
5. अभियुक्त रामेश्वर चौरसिया पुत्र स्व० तीरथ प्रसाद (निवासी मथुरानगर टोला परशुरामपुर) के कब्जे से 30 पैकेट बंटी बबली अवैध शराब बरामद। (मु०अ०सं० 279/2026, धारा 60(1) आबकारी अधि०)

6. अभियुक्त विकास चौहान पुत्र रामकिशुन चौहान (निवासी ग्राम पचरुखी टोला रघुनाथपुर) के कब्जे से **10 पैकेट बंटी बबली शराब** बरामद। (मु0अ0सं0 280/2026, धारा 60(1) आबकारी अधि0)

- **थाना पनिररा:** अभियुक्त रामजतन पुत्र स्व0 सालिक (उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम हेमछापर बिचली कोठी) के पास से **41 अदद बंटी बबली देशी शराब** बरामद। (मु0अ0सं0 295/2026, धारा 60(1) आबकारी अधि0)

- **थाना नौतनवां:**

1. अभियुक्त दिलीप पुत्र बसन्त (निवासी सेमरहवा) के कब्जे से एक गैलन में **10 लीटर कच्ची शराब** बरामद। (मु0अ0सं0 196/2026, धारा 60(1) आबकारी अधि0)

2. अभियुक्त सूरज यादव पुत्र हरिद्वार (निवासी महदेइया थाना परसामलिक) के पास से **04 ट्यूबर्ग ब्राण्ड बीयर व 06 पाउच राकेट ब्रांड देशी शराब** बरामद। (मु0अ0सं0 198/2026, धारा 60(1) आबकारी अधि0)

3. अभियुक्त मन गौड़ पुत्र लौटन गौड़ (निवासी ग्राम कुसहा थाना कोल्हुई हाल मुकाम ग्राम बजरही थाना नौतनवां) के कब्जे से **13 अदद टेट्रा पैक देशी शराब** बरामद। (मु0अ0सं0 199/2026, धारा 60(1) आबकारी अधि0)

- **थाना भिटौली:** अभियुक्त सतीश चन्द पुत्र गोबरी (निवासी बेलवा बुजुर्ग) के कब्जे से **16 अदद देशी शराब बंटी बबली** बरामद। (मु0अ0सं0 217/2026, धारा 60(1) आबकारी अधि0)

- **थाना कोठीभार:** अभियुक्त मनोज वर्मा पुत्र सुदामा वर्मा (निवासी ग्राम हेवटी) के पास से **18 अदद टेट्रा बंटी बबली देशी शराब** बरामद। (मु0अ0सं0 308/2026, धारा 60(1) आबकारी अधि0)

4. अन्य निरोधात्मक कार्रवाई एवं विवेचना निस्तारण:

- **विवेचना निस्तारण:** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में **कुल 03 विवेचनाओं** का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।